

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 28/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/148

अनवान

1. गीतादेवी पत्नि लादूलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालीदेवी पत्नि नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नजरीदेवी पुत्री नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बक्शीराम पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मुकेश पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मूलचन्द पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लादूलाल पुत्र नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरलाल पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शान्तिलाल पुत्र केला खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ननूराम पुत्र हीरालाल जाट निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाट निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालूलाल पुत्र कालू बलाई निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पुत्र बालूराम ब्राह्मण निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगद्दी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 11-11-2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के चैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2369 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2370 रकबा 0.21 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 98 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2374 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2375 रकबा 0.37 है0,



सहायक कलक्टर  
(राज.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 2376 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 644 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई गर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने वाकत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 05.04.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलव किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 11.11.2025 को अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 6 औपचारिक पक्षकार है।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2369 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2370 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 98 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2374 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2375 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 2376 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 644 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दरतावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिरारो स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2369 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या



40  
सहायक जिला अधिकारी  
रायपुर

2370 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 98 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2374 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2375 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 2376 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 644 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमावन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमावन्दी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### ::- आदेश -::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2369 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2370 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 98 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2374 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2375 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 2376 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 644 पर स्थित है। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर जिला, भिलाई  
(एस.जी.ओ.) रायपुर

आदेश आज दिनांक 11-11-2025 को सर-ए-इजलारा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर जिला, भिलाई  
(एस.जी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 28/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/148

अनवान

1. गीतादेवी पत्नि लादूलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालीदेवी पत्नि नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नजरीदेवी पुत्री नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बक्शीराम पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मुकेश पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मूलचन्द पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लादूलाल पुत्र नन्दा खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरलाल पुत्र रामलाल खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शान्तिलाल पुत्र केला खटीक निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ननूराम पुत्र हीरालाल जाट निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाट निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालूलाल पुत्र कालू बलाई निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पुत्र बालूराम ब्राह्मण निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 11-11-2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.10.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2369 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2370 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 98 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2374 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2375 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 2376 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 644 पर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्वधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के कराये जावे।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट गय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 11-11-2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
राजस्थान सरकार